

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/पी-86,17868/2024/ 89

दिनांक:- 5/3/24

--:आदेश:-

श्री पंकज कुमार,मीणा नर्सिंग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसाणी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिव,बाडमेर के स्वयं की प्रार्थना पर आवेदित अवकाश दिनांक 05.05.2020 से 07.07.2020 एवं दिनांक 08.07.2020 से 13.07.2020 तक कुल 70 दिवस का परिवीक्षाकाल में असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2) वित्त/नियम/2006-1 दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर असाधारण अवकाश की सीमा तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/पी-86,17868/2024/ 89

दिनांक:- 5/3/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिव बाडमेर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

RajKaj Ref
5828743

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :04-03-2024 06:34:39